pan>

Title: Regarding the status of the people of Gilgit, Baluchistan and POK.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का और देश का ध्यान आकृष्Âट करना चाहता हूँ।

वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से कश्मीर एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। हम सभी को पता है कि संसद में लगातार रिजोल्युशंस पास हुए, मेरा भी एक प्राइवेट मेम्बर रिजोल्यूशन पास हुआ था। वर्ष 1996 में लोक सभा में सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर एक बड़ा रिजोल्युशन पास किया था। हमारे हिस्से के कश्मीर, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पर इल्लीगली, अनैतिक तौर पर, गैर-कानूनी तौर पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा ही नहीं कर रखा है, बल्कि गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान में कैसे मिलाया जाए, इसके लिए एक साज़िश हो रही है और वह चाइना को एक बड़ा कॉरीडोर बनाने देने का प्रयास कर रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित और बलूचिस्तान में जितनी भी भारत विरोधी एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। जाली नोटों या इस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ कर के वे भारत सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस रास्ते का वे लोग अपने हित के लिए उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर असेंबली में विधान सभा की 25 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व की गई। ये सीटें इसलिए रिजर्व रखी गई हैं, क्योंकि वह भारत के जम्मू-कश्मीर का एक अविभाजित अंग है। जब वह भारत में मिल जाएगा, तब ये 25 सीटें पूरी हो जाएंगी। 1973 में एक संशोधन हुआ था, जिसके तहत इन 25 सीटों को 24 सीटों में बदल दिया गया था। हम सभी लोकसभा के सदस्य हैं। हम सब यह बात जानते हैं कि जहाँ कहीं भी विधान सभाएँ होती हैं, वहाँ उनके ऊपर एक लोकसभा भी होती है। जम्मू-कश्मीर का वह अंग, जहाँ 25 सीटें रिजर्व की गई हैं, वहाँ भारत सरकार ने भूलवश 1950 से लेकर आज तक ध्यान नहीं दिया है। भारत सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वह हमारा एक अंग है और उसके ऊपर लोकसभा की सीटें होनी चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार के साथ ही साथ पूरे देश को बताना चाहूँगा कि हमारी सीटें 550 तक जा सकती हैं। उसमें डी-लिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारी ऐसी 5 सीटें खाली हैं। मैं यह आग्रह करता हूँ कि चूँकि वहाँ असेंबली में सीटें रिजर्व हैं, इसलिए भारत सरकार को लोकसभा की 5 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित और बलूचिस्तान के लिए निर्धारित करनी चाहिए। 1946-47 के बाद से वहाँ के जो लोग यहाँ आए हैं, उनकी नागरिकता का सवाल आज सबसे बड़ा सवाल है। वे लोग चाहे कश्मीरी पंडित हों या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए लोग हों, उन सभी लोगों के प्रति भारत सरकार को एक सिंपेथेटिक नजरिया रखना चाहिए। वे लोग लोकसभा के लिए तो वोट दे सकते हैं, परंतु वे विधान सभा के लिए वोट नहीं दे सकते हैं। उनके पास राज्य की नागरिकता नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि उनको राज्य की नागरिकता प्रदान की जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajendra Agrawal and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.